गांव में वैज्ञानिकों के कार्य

1. एक गांव का चयन कर कृषकों से संवाद स्थापित करना ।
2. किसानों को सामयिक रूप से फोन एवं मोबाइल संदेश द्वारा कृषि क्रियाओं की जानकारी पहुंचाना ।
3. गांव की परिस्थितियों के अनुसार सम्भावित कृषि प्रणाली पर मौसम के अनुसार कृषि साहित्य उपलब्ध कराना ।
4. किसानों को कृषि निवेश, ऋण, बीज, उर्वरक, रसायन, कृषि यंत्र, कृषि जलवायु, बाजार आदि से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराना।
5. कृषि वैज्ञानिक द्वारा समाचार पत्रों, सामुदायिक रेडियो आदि के माध्यम से भी क्षेत्र विशेष में किसानों को जागरूक करना ।
6. स्थानीय स्तर पर किसानों के लिए कार्यरत संगठनों एवं संस्थाओं जैसे स्वयंसेवी संस्थाओं, कृषक संगठन, आत्मा, अन्य सरकारी विभागों व उनके कार्यक्रमों के बारे में कृषकों को अवगत कराना।
7. राष्ट्रीय महत्व के संवेदनशील मुद्दों जैसे भारत स्वच्छता अभियान, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, मृदा उर्वरता आदि विषयों पर भी किसानों को समय–समय पर जागरूक करना।
8. आवश्यकतानुसार चयनित सम्पर्क गांव का भ्रमण कर किसानों की बैठक आयोजित करना एवं संबंधित संस्थानों से विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित करना ।
9. वैज्ञानिकों द्वारा ग्रामीण स्तर पर तकनीकी समस्याओं की पहचान कर आगामी अनुसंधान कार्यक्रमों में उपयोग।
10. गांव से सम्बन्धी तकनीकी, सामाजिक व आर्थिक आंकड़े सृजित करना व किये गये कार्यों की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

क्रियान्वयन

प्रत्येक विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर एक वरिष्ठ वैज्ञानिक को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय परियोजना निदेशक, नोडल अधिकारी होंगे जिनके पास गांव के बेंचमार्क सर्वे तथा त्रैमासिक रिपोर्ट विश्वविद्यालय/संस्थान के नोडल अधिकारी द्वारा भेजी जायेगी। क्षेत्रीय परियोजना निदेशक को संकलित रिपोर्ट सहायक महानिदेशक (कृषि प्रसार) को भेजनी होगी, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय स्तर पर नोडल अधिकारी का कार्य करेंगे।

जानकारी व संपर्क

उप महानिदेशक (कृषि प्रसार)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

कृषि अनुसंधान भवन–I, पूसा, नई दिल्ली–110 012

फोनः 011–25843277, ई–मेलः ddg-extn.icar@gov.in

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्री राधा मोहन सिंह
केंद्रीय कृषि मंत्री

डॉ. संजीव कुमार बालियान
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री

श्री मोहनभाई कुंडारिया
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री

मेरा गांव मेरा गौरव

वैज्ञानिक–कृषक संपर्क की अनूठी पहल

परिचय

किसानों तक वैज्ञानिकों की सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए **'मेरा गांव, मेरा गौरव'** नामक योजना तैयार की गई है, जिससे **'प्रयोगशाला से खेत'** प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किसानों के साथ वैज्ञानिकों के संपर्क को बढ़ाया जा सके। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक वैज्ञानिक द्वारा एक गांव की पहचान कर किसानों को नियमित रूप से सूचना, ज्ञान एवं परामर्शी सुविधा प्रदान कर प्रोत्साहित करना है।

भारतीय कृषि में सीमान्त व छोटे कृषकों की सहभागिता कुल कृषि जोत संख्या व क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। छोटे किसान सूचनाओं की सामयिक उपलब्धता; कृषि निवेश; ऋण व बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच; बाजार व मूल्यों की जानकारी; प्रसार सेवाओं व अन्य प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी; अनुसंधान प्रणाली द्वारा विकसित नवीन तकनीकों की उपलब्धता, आदि विषयों पर अपनी आवश्यकताओं को विभिन्न मंचों पर रखते रहते हैं।

वर्तमान में भारतीय कृषि परिदृश्य में अनेक एजेंसियां और सेवा प्रदाता कार्य कर रहे हैं, जिनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बारे में जानने की जिज्ञासा किसानों में बनी रहती है। अनुसंधान केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों, निजी कम्पनियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विकसित एवं परिष्कृत प्रौद्योगिकियां किसान समुदाय के बीच भिन्न रूप में स्वीकृत व अंगीकृत की जाती हैं । 'आत्मा', स्वैच्छिक संगठन, कृषि उद्योग और किसान संगठनों, आदि द्वारा भी विभिन्न कृषि परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। किसानों के बीच इन संस्थाओं और इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि देश के किसान अपनी जरूरतों के अनुसार परामर्श एवं समाधान प्राप्त कर सकें।

प्रक्रिया

'मेरा गांव, मेरा गौरव' योजना के अन्तर्गत वैज्ञानिक अपनी सुविधानुसार किसी एक गांव को चयनित कर उस गांव के संपर्क में बने रहेंगे और किसानों को तकनीकी तथा संबंधित पहलुओं पर सामयिक रूप में जानकारी प्रदान करेंगे। इसके लिए वैज्ञानिक गांव में दौरा करने के साथ–साथ फोन पर भी किसानों को परामर्शी सेवा प्रदान कर सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा गांव के लिए एक परामर्शदाता की भूमिका निभाने के साथ–साथ किसानों द्वारा कृषि तकनीकों को अपनाए जाने की प्रक्रिया की भी मॉनीटरिंग की जानी अपेक्षित है। वैज्ञानिकों द्वारा सामुदायिक रेडियो, स्थानीय समाचार पत्रों, मोबाइल संदेशों, विडियो, प्रदर्शनी, स्थानीय मीडिया का प्रयोग कर स्थानीय भाषा में स्थान विशिष्ट परामर्शी सेवाओं के प्रसार हेतु पहल किया जाना अपेक्षित है। इस क्रम में कृषि विज्ञान केन्द्रों, 'आत्मा', आदि के साथ सहयोग प्राप्त कर उन्नत किस्मों के प्रदर्शन व प्रक्षेत्र भ्रमण आदि का आयोजन करना प्रभावी होगा। वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न उत्पादों के लिए बाजार की जानकारी और बाजार के रूझान के बारे में किसानों को अवगत कराने के साथ–साथ किसानों को कृषि क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं के बारे में अवगत कराया जा सकता है, जिससे किसान अपने क्षेत्र में खेती से जुड़ी समस्याओं के लिए सम्बन्धित संस्था से सम्पर्क कर सकें। वैज्ञानिकों द्वारा गांव के किसानों को जलवायु परिवर्तन एवं आवश्यक अनुकूलन रणनीतियों अथवा बचाव उपायों और स्थानीय एवं राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के बारे में भी जागरूक किया जायेगा। इस सामाजिक विकास की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों द्वारा स्थानीय पंचायत, विकास संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों और निजी संगठनों को भी शामिल किया जा सकता है।

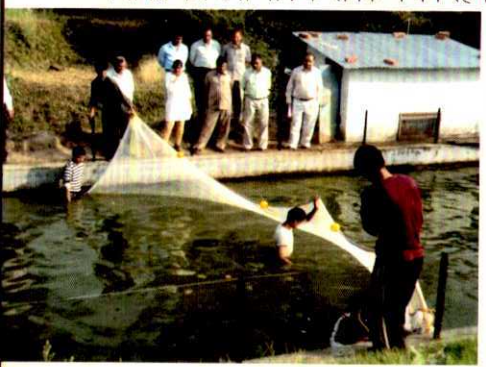

इसके साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा 'स्वच्छ कृषि' विचारधारा को बढ़ावा दिया जाए और उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों के लिए बेहतर कृषि विधियों को अपनाते हुए इसे 'स्वच्छ भारत अभियान' के साथ जोड़ा जा सकता है।

इस प्रकार राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रणाली के 20,000 वैज्ञानिकों द्वारा गांवों को सम्पर्क गांव के रूप में चिन्हित कर कार्य किया जायेगा।

गांव का चयन

प्रत्येक विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर भिन्न विषयों के चार वैज्ञानिकों के अनेक समूह बनाकर प्रत्येक वैज्ञानिक समूह द्वारा अपने नियुक्ति स्थल के 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्वयं अपने या अन्य किसी गांव का चयन कर तकनीकी प्रसार का कार्य करना है। प्रत्येक वैज्ञानिक समूह द्वारा पांच गांव अंगीकृत किए जायेंगे। विश्वविद्यालय/संस्थान के स्तर पर वैज्ञानिकों द्वारा सितम्बर 2015 तक एक गांव का चयन करने की प्रक्रिया पूरी की जानी अपेक्षित है। स्थानीय स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्र, पंचायत एवं अन्य विभाग चयनित गांवों में वैज्ञानिक समूहों को आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान कर सकते हैं। वैज्ञानिक समूहों को उनकी यात्रा एवं कार्यक्रमों के आयोजन हेतु संस्थान मद से न्यूनतम आवश्यक सहायता प्रदान की जा सकती है। चयनित गांव की कृषि, जलवायु, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति के विश्लेषण हेतु एक प्रारूप विकसित किया गया है। इसका प्रयोग करते हुए गांव का बेंचमार्क सर्वे किया जायेगा और संस्थान स्तर पर संकलित रिपोर्ट सम्बन्धित क्षेत्रीय परियोजना निदेशक को प्रेषित की जायेगी।